कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक / प्रबन्ध / /2021–22 दिनांकः– 07/03/2022

(कार्यालय–आदेश)

कार्यालय पत्रांक / प्रबन्ध / मान्यता / 4437–41 / 2019–20 दिनांक 17.08.2019 के द्वारा के0वी0 पब्लिक स्कूल किशन विहार परीक्षितगढ, मेरठ को नर्सरी से कक्षा–08 तक (अंग्रेजी माध्यम) को शैक्षिक सत्र–2019–20 से शैक्षिक सत्र 2021–22 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 22.02.2022 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–418/79–6–2013–8 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग–6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई हैं के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्राविधान है।

उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए कार्यालय पत्रांक / प्रबन्ध / मान्यता / 4437–41 / 2019–20 दिनांक 17.08.2019 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गय प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(योगेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0 / प्रबन्ध / 11228 - 31 /2021–22 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, के0वी0 पब्लिक स्कूल किशन विहार परीक्षितगढ, मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ

Principal
K. V. Public School
Kishan Vihar
Parikshit Garh (Meerut)

Manager
K. V Public School
Parikshit Garh (Meerut)

कल्याण नगर, मेरठ
ई–मेल meerut.bsa@gmail.com

फोन नम्बर 0121–2703911
फैक्स नम्बर 0121–2703911

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक–प्रबन्ध/मान्यता/ 4437–41 /2019–20 दिनांकः– 17/08/19

प्रबन्धक
के0वी0 पब्लिक स्कूल
किशन विहार, परीक्षितगढ़, मेरठ।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के0वी0 पब्लिक स्कूल, किशन विहार, परीक्षितगढ़, मेरठ को शैक्षिक सत्र 2019–20 से शैक्षिक सत्र 2021–22 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनिमय 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार–नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिगं प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

Principal
K. V. Public School
Kishan Vihar
Parikshit Garh (Meerut)

Manager
K. V. Public School
Parikshit Garh (Meerut)